पत्रांक–1/PMC/विविध/944/2014–पार्ट–I:-659

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

नन्द कुमार झा
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक 12/9/2022

विषय : **खान एवं भूतत्व विभाग के ICICI Bank A/c No. 057901002299 को बन्द किये जाने के उपरांत रॉयल्टी/मालिकाना फीस की राशि को O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष "0853" में जमा करने/कराये जाने के संबंध में।**

प्रसंग : खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार का पत्रांक– 4585 दिनांक 02.09.2022

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि खान एवं भूतत्व विभाग का ICICI Bank A/c No. 057901002299 तत्काल प्रभाव से बन्द हो गया है तथा अनुरोध किया गया है कि रॉयल्टी/मालिकाना फीस से प्राप्त राशि को अब सीधे O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष "0853" में जमा किया जाए। संवेदक/ जमाकर्त्ता द्वारा O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष "0853" में राशि जमा कराकर O-GRAS का Receipt संवेदक/जमाकर्त्ता से प्राप्त कर संधारित की जाय एवं उसकी छायाप्रति खान एवं भूतत्व विभाग के संबंधित जिला खनन कार्यालय को भी उपलबध कराने का अनुरोध किया गया है।

अपने अधीनस्थ कार्य प्रमंडलों को प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया जाए।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

अनु०–यथोक्त्।

विश्वासभाजन
12/09/2022
(नन्द कुमार झा)
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग

ज्ञापांक– 1/PMC/विविध/944/2014–पार्ट–I:-659 पटना, दिनांक– 12/9/2022

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़ नियंत्रण, पटना /निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/कार्यपालक अभियंता आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/09/2022
(नन्द कुमार झा)
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग

Desktop/fazal/draft_Letter_Cricular_996

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–सी0सी0–ICICI/AC-I/13-2020(खण्ड)–......4585....../एम0, पटना, दिनांक–..02/09/2022..

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा0प्र0से0,
निदेशक, खान।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग/
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना।

प्रबंध निदेशक,
नेशनल विल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन लि0,
NBCC भवन, चतुर्थ तल, मौर्या टावर, मौर्य लोक कम्प्लेक्स,
डाक बंगला चौराहा, पटना।

प्रबंध निदेशक,
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन,
लोक नायक जय प्रकाश भवन,
मौर्यलोक, डाक बंगला चौराहा, पटना।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),
पूर्वोत्त रेलवे हाजीपुर, वैशाली।

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
सड़क, परिवहन एवं राज्य मार्ग विभाग,
17, अनिकेत हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाईटी,
आई0ए0एस0 कॉलोनी, किदवईपुरी (एस0के0 नगर), पटना।

मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी,
पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रू घाट, पटना–800004

कार्यपालक अभियंता,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
पुनाइचक, राजवंशी नगर, पटना

महाप्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03,
प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्रीकृष्णापुरी,
बोरिंग रोड, पटना।

P.T.O

Scanned with Oken Scanner

(99)

गैरिसन इंजिनियर
बिहार रेजिमेंट सेन्टर, दानापुर कैन्ट,
दानापुर, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शैक्षिणक आधारभूत संरचना विकास निगम,
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा कॉम्प्लेक्स, सैदपुर, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम,
निर्माण निग, बी0एम0पी0–5 कैम्पस, शेखपुरा, पटना–14।

महाप्रबंधक,
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
पंचम एवं षष्ठम तल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड, पटना।

मुख्य अभयंता,
बी0एस0एन0एल0, (असैनिक), पटना।

विषयः– विभागीय ICICI बैंक खाता सं0–057901002299 को बंद किये जाने के उपरांत रॉयल्टी/ मालिकाना फीस की राशि को O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष "0853" में जमा करने/कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में उल्लेख करना है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम 51 के सहपठित परिशिष्ट IIIक में खनिजवार स्वामिस्व दर अधिसूचित किया गया है, एवं नियम 57 में मालिकाना फीस का प्रावधान करते हुए खनिज मूल्य पर 10 प्रतिशत दर निर्धारित है। निर्माण कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस उक्त खनिज के निर्धारित स्वामिस्व दर के अतिरिक्त देय है। निरीक्षण में यह पाया गया है कि कार्य विभागों द्वारा ई–चालान के सत्यापन किये बगैर ही स्वामिस्व का भुगतान संवेदकों को किया जाता है, जो खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गई नियमों/निदेशों का उल्लंघन है। आप अवगत है कि संवेदक को वैध खदानों से खनिज क्रय कर निर्माण कार्य में उपयोग करना है। खनिज क्रय के समर्थन में संवेदकों को अपने विपत्रों के साथ ही खनन विभाग द्वारा निर्गत ई–चालान की प्रति संलग्न करना है, जिसकी जाँच कार्य विभागों द्वारा ही किया जाना है। विपत्रों के साथ खनिज क्रय के साक्ष्य के रूप में ई–चालान संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर स्वामिस्व की वसूली भी की जाती है।

वर्त्तमान में कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी/मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की राशि अधिकांशतया खान एवं भूतत्व विभाग का ICICI बैंक खाता सं0–057901002299 में ही जमा की जाती है। ज्ञातव्य है कि उक्त ICICI बैंक खाता सं0–057901002299 तत्काल प्रभाव से बंद किये जाने का निदेश है।

Abhijit-Draft-2

P.T.O

Scanned with Oken Scanner

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अब विभागीय ICICI बैंक खाता सं0–057901002299 में रॉयल्टी/मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की राशि जमा नहीं करने/कराये जाने हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय। रॉयल्टी/मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) से प्राप्त राशि को अब सीधे O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष "0853" में जमा करने/कराने की कृपा की जाय। संवेदक/जमाकर्त्ता द्वारा O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष "0853" में राशि जमा कराकर O-GRAS का Receipt संवेदक/जमाकर्त्ता से प्राप्त कर संधारित की जाय एवं उसकी छायाप्रति खान एवं भूतत्व विभाग के संबंधित जिला खनन कार्यालय को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

02/09/2022

निदेशक, खान

ज्ञापांक–4585/एम0, पटना, दिनांक–02/09/2022

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/2022

निदेशक, खान

ज्ञापांक–4585/एम0, पटना, दिनांक–02/09/2022

प्रतिलिपिः– सभी उपनिदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/2022

निदेशक, खान

Scanned with Oken Scanner